UPSI180026112025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-317/ 2025

कु० खुशबू वर्मा आदि **बनाम** **श्यामलाल आदि।**

वाद की प्रकृति	**स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**3756.50 रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री प्रमोद कुमार वर्मा**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**16.09.2025**

यह वाद-पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनाँक-17.10.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय भूमि गाटा संख्या-1099 रकबा 1.382 हे० स्थित ग्राम बिलौली बाजार, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के किसी अंश पर कब्जा करने व लगी फसल नष्ट करने तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण स्वामित्व व कब्जे में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची-9ग1 से एक किता उद्धरण खतौनी गाटा संख्या-1099 स्थित ग्राम बिलौली बाजार, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-10ग1, एक किता नकल खसरा गाटा संख्या-1099 स्थित ग्राम बिलौली बाजार, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-11ग1, एक किता सत्यापित भूचित्र गाटा संख्या-1099 स्थित ग्राम बिलौली बाजार, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-12ग1 एवं तीन किता वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ दाखिल पत्रावली की गयी है।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी कागज संख्या-10ग1 व नकल खसरा कागज संख्या-11ग1 के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादभूमि गाटा संख्या-1099 रकबा 1.382 हे० राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा वे उक्त भूमि पर काबिज व दाखिल हैं। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा नियत तिथि तक के लिए उपरोक्त वादभूमि गाटा संख्या-1099 रकबा

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.09.16 17:21:43 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmudabad, Sitapur.

1.382 हे० स्थित ग्राम बिलौली बाजार, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर किसी भी प्रकार का कब्जा व हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया जाए।

आदेश

न्यायालय द्वारा नियत तिथि तक प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे वादभूमि गाटा संख्या-1099 रकबा 1.382 हे० स्थित ग्राम बिलौली बाजार, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा व हस्तक्षेप न करें। यह आदेश मात्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुपालन अविलम्ब करें। वादीगण के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-17.10.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8 ग 2</u>

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादीगण जरिये **अधिवक्ता कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करें। अधिवक्ता कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अधिवक्ता कमिश्नर की सूची से क्रमानुसार अधिवक्ता कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-16.09.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)